न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1581–एक/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.06.2001 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक 137 अ–27/97–98 अपील

भोपाल सिंह उर्फ संतू पुत्र ईश्वरीप्रसाद
ग्राम तेंदूखेड़ा तहसील तेंदूखेड़ा जिला दमोह ---आवेदक

विरूद्ध

1– सुखदेव प्रसाद 2– नंदकिशोर
पुत्रगण ईश्वरीप्रसाद ग्राम तेंदूखेड़ा
तहसील तेंदूखेड़ा जिला दमोह ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श
(आज दिनांक 2–12–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 137 अ–27/1997–98 अपील में पारित दिनांक 21.06.2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम तेंदूखेड़ा स्थित आराजी कुल किता 8 कुल रकबा 2.160 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि

सम्बोधित किया गया है) के बटवारे की मांग तहसीलदार तेंदूखेड़ा से की। तहसीलदार तेंदूखेड़ा ने प्रकरण क्रमांक 29 अ-27/1995-96 दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 02-09-1996 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेड़ा के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 5 अ-27/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-08-97 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 137 अ-27/1997-98 में पारित दिनांक 21.06.2001 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि के बटवारे का आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार तेन्दूखेड़ा ने प्रकरण क्रमांक 29 अ-27/ 1995-96 दर्ज कर पटवारी से मौके की स्थिति अनुसार फर्द तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं एंव इस्तहार का प्रकाशन कराया है जिस पर से आवेदक ने यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि जब तक संपूर्ण चल-अचल संपत्ति का बटवारा नहीं हो जाता तब तक वादग्रस्त भूमि का बटवारा न किया जावे। तहसीलदार के निर्देशों के पालन में हलका पटवारी ने मौके पर फर्द तैयार की है एंव मौके पर पंचनामा बनाकर प्रतिवेदन दिनांक 26-8-96 प्रस्तुत किया है।

तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि का बटवारा तीनों भाई को समानरूप से किया है यदि अपीलांट किसी भूमि विशेष को अपनी होना प्रमाणित करना चाहता है तब उसे सिविल न्यायालय का सहारा लेना होगा, जो कार्यवाही उसके व्दारा नहीं की गई। फलतः तहसीलदार ने आदेश दिनांक 2-9-96 पारित कर संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि होने से एंव पूर्व के पंच फैसला दिनांक 2-4-94 के आधार पर वादग्रस्त भूमि का बटवारा स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेड़ा ने अपील क्रमांक 05 अ-27/ 1996-97 में पारित आदेश दिनांक 14-8-97 में तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 137 अ-27/ 1997-98 अपील में पारित दिनांक 21.06.2001 में तहसीलदार के आदेश दिनांक 2-9-96 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। फलतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती होना पाये गये हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप करना संभव नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी होने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 137 अ-27/1997-98 अपील में पारित दिनांक 21.06.2001 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर